



PRESS RELEASE
LAUNCH OF NATION-WIDE CAMPAIGN
If we do not rise...*Hum agar uthhe nahin toh...* on September 5, 2020

More than 400 women's groups, LGBTQIA collectives and human rights organisations across the country are organizing the *Hum agar uthhe nahin toh...* (If we do not rise...) campaign on September 5, 2020. The day marks the third anniversary of the assassination of Gauri Lankesh. The campaign is aimed at uniting voices against targeted attacks on the constitutional rights of the people of India.

The campaign was announced today at a press conference which was addressed by social activists and representatives of national networks and organisations which are joining the campaign. Anjali Bhardwaj (SNS), Shabnam Hashmi (ANHAD), Annie Raja (NFIW), Dr. Syeda Hameed (former Member of Planning Commission), Mariam Dhawale (AIDWA), Kavita Krishnan (AIPWA), Abirami Jotheeswaran (All India Dalit Mahila Adhikar Manch), Abha Bhaiya (One Billion Rising), Meera Sanghmitra (NAPM), Nandini Rao, Aruna Gnanadason (Indian Christian Womens' Movement) and Leena Dabiru. The speakers highlighted the need, objectives and plan of the campaign.

India's democracy and Constitution are facing an unprecedented crisis. The last few years have seen a collapse of democratic institutions in the country. The independence of the judiciary and other institutions of oversight has come under a serious cloud and the functioning of the Parliament has been gravely compromised. The government has institutionalised corruption and lack of transparency in election funding with the system of Electoral Bonds, which allows corporations to surreptitiously divert black money to the coffers of the ruling party. The dilution of the Right to Information Act has hit at the fundamental democratic right of citizens to question the government and hold it accountable.

The growth of fascist and neo-liberal forces in the country, and the resulting rise in violence in society, has deeply impacted the lives of women and members of the LGBTQIA communities. Attacks on religious minorities have created an atmosphere of fear and insecurity. The country has witnessed a systematic attempt to spread communal hatred and divide people on religious lines. The Citizenship Amendment Act (CAA) pushed through Parliament by the government, together with the NRC and NPR, destroys the secular fabric of India's Constitution by making religion a basis for giving Indian citizenship. People all over India rose up in a peaceful and unique, women led movement to protect the Constitution. Unfortunately, targeted communal violence was unleashed in response to the movement. Instead of arresting leaders who made hate speeches inciting violence, the women and people who worked for unity, peace and the Constitution are being arrested and incarcerated.

In August, 2019, the Government assaulted India's Constitution and federalism by abrogating Article 370 and destroying the statehood of Jammu & Kashmir. The internet has not been restored even one year on; there is a complete clampdown on speech and democracy, and Kashmiri political prisoners are incarcerated in jails all over India without trial, and even former Chief Ministers are being held in house arrest. More recently, the Government has amended the region's domicile law.

The last few years, have witnessed a frontal attack on the freedom of expression guaranteed by the Constitution – the right to dress, speak, write, eat and choose one's religion– which has impacted women and the LGBTQIA communities disproportionately. Voices of dissent have been systematically silenced and labelled anti-national. Activists, journalists and academics engaged in various movements are languishing in jails, without access to the legal provision of bail; and women like Gauri Lankesh have had to pay with her life for exercising the fundamental right to speech and expression. The Unlawful Activities Prevention Act (2019) has been amended and used to implicate dissenters and arrest them.

There has been a steady deterioration in the rule of law with alarming cases of police excesses, including custodial deaths.

Regressive laws like the Transgender Persons (Protection of Rights) Act have adversely impacted the rights of Transgender persons. There are very few provisions in place to protect the safety and rights of the entire LGBTQIA community. There have also been several moves to dilute SC/ST/OBC reservations and the SC/ST Prevention of Atrocities Act.

Neo-liberal economic policies and growing crony capitalism have adversely impacted women in general, but especially those who belong to the Dalit, Adivasi and other marginalised communities. Their fragile economic base has been devastated.

The COVID 19 crisis has further exposed the apathetic and anti-poor nature of the current regime. The unplanned and harsh lockdown imposed to combat the pandemic resulted in economic devastation. It meant instant cessation of all income earning opportunities for millions leading to unemployment, hunger and destitution among the working poor, especially migrant workers. Heart-rending reports and images of migrants walking for hundreds of kilometers, often carrying children came to characterize the lockdown.

India's economy was already struggling to recover from the demonetisation disaster and the country was facing the worst unemployment crisis in 45 years. The lockdown has pushed the crisis to catastrophic proportions. The pandemic has also exposed the dismal state of the country's public health system. Gender based violence and caste-based atrocities against Dalits have risen sharply during the lockdown.

The COVID 19 crisis has been turned into an opportunity by the current regime to dilute and destroy laws protecting hard won workers' rights. At a time when the pandemic prevents people from protesting in large numbers, the Government is busy privatising public sector units that belong to India's people, and seeking to destroy the Environmental Impact Assessment processes thereby facilitating plunder of our rivers, forests and land and at the same time proposing adverse changes to agrarian policies. The New Education Policy is riddled with several problems - it seeks to ensure greater centralisation, communalisation and commercialisation of the education system. There have been moves to dilute laws to protect women in the name of mitigating COVID19 revealing the anti-women attitude of the regime.

The speakers at the press conference highlighted that women and LGBTQIA persons have been at the forefront of the movement to save India's Constitution. The ***Hum agar uthhe nahin toh... "if we do not rise"*** campaign is an initiative to safeguard constitutional values and principles.

As part of the campaign, thousands of individuals and groups will come together across the country to raise their voices on the issues mentioned both on-line and on the ground. They will:

- Make videos of 2-5 minutes which will be shared on various social media platforms
- Do Facebook lives
- Create posters, animation, memes, songs and performances and circulate on the social media
- While observing physical distancing norms, gather in small groups with placards and slogans
- Give memoranda on different issues to local authorities

As part of the campaign factsheets will be released on various themes including violence against women, transgender people, health, political participation of women, migrant workers, women farmers and sex workers.

The speakers appealed to all artists, intellectuals, academicians and concerned citizens to join the campaign on the 5th of September.

Issued on behalf of all organisations, networks and collectives participating in **If we do not rise...Hum agar uthhe nahin toh campaign**

For more information you can kindly contact:
ifwedontrise@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति
देश भर में अभियान का आरम्भ
हम अगर उठे नहीं तो...
... If we do not rise
सितम्बर 5, 2020

सितम्बर 5, 2020 को देश भर में 400 से ज्यादा नारीवादी संगठन, LGBTQIA समुदाय और मानव अधिकार संगठन हम अगर उठे नहीं तो... (If we do not rise...) आन्दोलन को आयोजित कर रहे हैं। यह दिन गौरी लंकेश की हत्या की तीसरी वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे लक्षित हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करना है।

भारत का लोकतंत्र और संविधान एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। देश में पिछले कुछ सालों में लोकतांत्रिक और विधि प्रणाली का पतन हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अन्य संस्थानों की कार्यप्रणाली, गंभीर समीक्षा के तले आ गई है और संसद के कामकाज का संगीन रूप से समझौता किया गया है। सरकार ने चुनावी फंडिंग में भ्रष्टाचार का व्यवस्थित आयोजन कर, चुनावी बांड की प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को एक संस्थागत रूप दिया है, जो निगमों को सत्तारूढ़ दल के संदूकों में काले धन को भरने की प्रक्रिया को मजबूती देता है। सरकार पर किसी प्रकार के सवाल ना उठाये जा सके और न ही उन्हें किसी भी निर्णय का ज़िम्मेदार ठहराया जा सके इसके लिए सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करके नागरिकों के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार पर प्रहार किया है।

देश में फासीवादी और नव-उदारवादी ताकतों की वृद्धि, के परिणामस्वरूप समाज में हिंसा में बढ़ोतरी हुई है जिससे खासकर LGBTQIA समुदायों के लोगों और महिलाओं के जीवन और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों ने देश में भय और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। देश में सांप्रदायिक घृणा फैलाने और लोगों को धार्मिक तर्ज पर विभाजित करने का एक व्यवस्थित

प्रयास देखा जा रहा है। देश के धर्मनिपेक्ष ढांचे को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) द्वारा नष्ट करने की कोशिश संसद के माध्यम से पुरजोर की जा रही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) (और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर) NPR (जैसे अधिनियम द्वारा नागरिकता को धर्म से जोड़कर भारत के संविधान के ताने-बाने को नष्ट करने का प्रयास है। पूरे भारत में लोग सरकार के इस प्रतिगामी फैसले के विरुद्ध शांतिपूर्ण और अनोखे तरीके से उठे; महिलाओं ने संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। दुर्भाग्य से, आंदोलन के जवाब में लक्षित सांप्रदायिक हिंसा को सत्ताधारी दल द्वारा समर्थित किया गया। हिंसा को उकसाने वाले घृणास्पद भाषण देने वाले नेताओं को गिरफ्तार करने के बजाय, उन महिलाओं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने एकता, शांति और संविधान के लिए काम किया।

अगस्त 2019 में, सरकार ने अनुच्छेद 370 को अभिनिषेध कर भारत के संविधान और संघीयता/संप्रभुता पर हमला किया है और जम्मू कश्मीर के राज्य होने के दर्जे को नष्ट किया। एक साल होने पर भी अभी तक वहां पर इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद की गई हैं, भाषण और लोकतंत्र पर पूरी तरह से पाबन्दी है, और कश्मीरी राजनैतिक कैदियों को बिना मुकदमे के भारत की जेलों में बंदी बना दिया गया है। यहाँ तक कि वहां पूर्व मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कर घर में ही रखा गया है। हाल ही में, सरकार ने इस क्षेत्र के अधिवास कानून में इसीलिए संशोधन किया है।

पिछले कुछ वर्षों में, संविधान द्वारा प्रतिबद्ध अभिव्यक्ति की आजादी पर एक प्रत्यक्ष हमला हो रहा है जैसे कपड़े पहनने का अधिकार, बोलने, लिखने, खाने, किसी धर्म विशेष को चुनने का अधिकार - जिसने महिलाओं और LGBTQI समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित किया है। है। असंतुष्टि की जो आवाजें उठीं उन्हें व्यवस्थित रूप से चुप करा दिया गया और राष्ट्र-विरोधी का ठप्पा लगाया गया। विभिन्न आंदोलनों में लगे कार्यकर्ता, पत्रकार और शिक्षाविद् जमानत के कानूनी प्रावधान के बिना, जेलों में सड़ रहे हैं, गौरी लंकेश जैसी महिलाओं को भाषण और अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने का भुगतान अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (2019) में संशोधन किया गया है और इसका इस्तेमाल असंतुष्टों को फंसाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है।

पुलिस हिरासत में होने वाली मौत और ज्यादती के खतरनाक मामलों के साथ, कानून के न्याय संगत शासन का लगातार पतन हुआ है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों) अधिकारों का संरक्षण (अधिनियम जैसे प्रतिगामी कानूनों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। संपूर्ण LGBTQIA समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत कम प्रावधान हैं। एससी /एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और) SC / ST / OBC(के आरक्षण को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों और बढ़ते विकास के लिए इसमें अन्तर्निहित पूँजीवाद ने सामान्य रूप से महिलाओं पर विपरीत ढंग से प्रभाव डाला है, लेकिन विशेष रूप से वे जो दलित, आदिवासी और अन्य हाशिए के समुदायों के सदस्य हैं उनका नाजुक आर्थिक आधार तबाह हो गया है।

COVID-19 संकट ने वर्तमान शासन की गरीब-विरोधी विचारधारा को और उजागर कर दिया है। महामारी से निपटने के लिए लगाए गए अनियोजित और कठोर लॉकडाउन ने देश में आर्थिक तबाही और विनाश को जन्म दिया है। इससे तुरंत प्रभाव से लाखों गरीबों के सभी आय के अवसर समाप्त हो गए और वह बेरोजगार हो गए। इसका विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रवासी श्रमिकों की अपने बच्चों के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलने वाली हृदय-विदारक रिपोर्ट और तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि लॉकडाउन की विशेषता बन गई है।

भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही 2017 की विमुद्रीकरण (demonetisation) आपदा से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप 45 वर्षों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गयी। लॉकडाउन ने बेरोजगारी के इस संकट को भयावह अनुपात में धकेल दिया है। इस संकट ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली की निराशाजनक स्थिति को पूरी तरह उजागर कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान दलितों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा और जाति आधारित अत्याचार तेजी से बढ़े हैं।

लॉकडाउन में श्रम अधिकार कानूनों को बदल कर निष्क्रिय और नष्ट कर दिया है। ऐसे समय में जब महामारी बड़ी संख्या में लोगों को विरोध करने से रोकती है सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण में व्यस्त है जो भारत के लोगों की हैं। इसके इलावा पर्यावरणीय प्रभाव की आकलन प्रक्रियाओं को खत्म करने की मांग की जा रही है जिससे हमारी नदियाँ, वन और भूमि को लूटने में मदद मिले सके और एक ही समय में कृषि नीतियों में प्रतिकूल परिवर्तन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति कई समस्याओं से ग्रस्त है - यह शिक्षा प्रणाली के अधिक केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण और व्यावसायीकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। COVID 19 को कम करने के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदत्त कानूनों को कम करने के कदम उठाए गए हैं, जिससे शासन का महिला विरोधी रवैये का पता चलता है।

भारत के संविधान को बचाने के लिए आंदोलन में महिलाएं और LGBTQIA व्यक्ति सबसे आगे रहे हैं। हम अगर उठे नहीं तो... *"if we do not rise"* अभियान संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक पहल है।

अभियान के हिस्से के रूप में, हजारों लोग और समूह देश भर में एक साथ ऑन-लाइन और ज़मीन पर वर्णित मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आएंगे। वे करेंगे:

- २-५ मिनट के वीडियो बनाएं और हमारे साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें।
- फेसबुक पर लाइव प्रसारण करें।
- सोशल मीडिया पर सर्कुलेशन के लिए पोस्टर, एनीमेशन, मीम्स, गाने और अभिनय बनाएं।

- शारीरिक दूरी मानदंडों का पालन करते हुए 10-5 लोगों के छोटे समूहों में इकट्ठा करें और सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हैं।
- स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन दें।

अभियान के एक भाग के रूप में हम महिलाओं और ट्रांसजेंडर के खिलाफ हिंसा, स्वास्थ्य, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, प्रवासी श्रमिकों, महिला किसानों और यौनकर्मियों सहित विभिन्न विषयों पर फैक्टशीट जारी करेंगे।

हम सभी कलाकारों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और संबंधित नागरिकों से 5 सितंबर को अभियान में शामिल होने की अपील करते हैं।

हम अपने संविधान और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हैं।



ifwedonotrise@gmail.com

If we do not rise...

हम अगर उठे नहीं तो...

हमअगरउठेनहींतो


#ifwedonotrise

हमअगरउठेनहींतो

#ifwedonotrise

#ifwedonotrise

हमअगरउठेनहींतो




Join
Sept. 05, 2020

Nationwide campaign by women, trans*, queer and human rights activists



5
Sept.
2020



If We Do Not Rise...

हम अगर उठे नहीं तो...

e-mail : ifwedonotrise@gmail.com